16-08/2014-डीआरसी/सीसीपीडी(भाग.Vol.II)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-03

दिनांक: अगस्त, 2026

परिपत्र

विषय: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन (सीसीपीडी) के पद के लिए रिक्ति परिपत्र।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. **पद का नाम :** मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन
2. **मुख्यालय :** नई दिल्ली।

3. **वेतनमान :** सचिव, भारत सरकार के लिए अनुदेय वेतनमान और भत्ते।

[जहां मुख्य आयुक्त एक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी संस्थान या स्वायत्त निकाय का सेवारत कर्मचारी हो, और जो ऐसी पिछली सेवा के लिए पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो इन नियमों के तहत उसे स्वीकार्य वेतन से वह पेंशन की राशि कम कर दी जाएगी, और यदि उसने पेंशन के एक हिस्से के बदले में, उसका परिवर्तित मूल्य (कम्यूटेड वैल्यू) प्राप्त कर लिया है, तो उस पेंशन के ऐसे परिवर्तित(कम्यूटेड) हिस्से की राशि भी कम कर दी जाएगी।]

2. **आयु सीमा:** 01.01.2026 को 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. **शैक्षणिक योग्यता:**

अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक:

बशर्ते कि सामाजिक कार्य या विधि या प्रबंधन या मानवाधिकार या पुनर्वास या दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. **अनुभव:**

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्ध-सरकारी या दिव्यांगता से संबंधित मामलों वाले स्वायत्त निकाय या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कार्य करने वाले स्वायत्त निकाय में समूह "क" स्तर के पद पर या दिव्यांगता या सामाजिक विकास के क्षेत्र में पंजीकृत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों में वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारी के रूप में न्यूनतम पच्चीस वर्षों का अनुभव होना चाहिए:

बशर्ते कि इस कुल पच्चीस वर्षों के अनुभव में से, उसे दिव्यांगजनों के पुनर्वास या सशक्तिकरण के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

5. **<u>मुख्य आयुक्त का कार्यकाल</u>:**

क. मुख्य आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, तक होगा।

ख. यदि कोई आवेदक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा में है, तो वह पद पर अपनी नियुक्ति से पहले ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति लेगा।

6. पात्र अभ्यर्थी अपने दावे (दावों) के समर्थन में सहायक दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध) में विधिवत रूप से भरे हुए आवेदन 'रोजगार समाचार पत्र' में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 3 सप्ताह के भीतर **श्री अजय कुमार, अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 5वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003** के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन को क्रमांकित पृष्ठों के साथ विधिवत रूप से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और इसे कई भागों में नहीं बल्कि एकल इकाई के रूप में भेजा जाना चाहिए। सहायक दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगें। केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/स्वायत्त निकायों आदि में कार्यरत आवेदकों को अग्रिम प्रति भेजने के साथ-साथ, उचित माध्यम से भी अपना आवेदन भेजना आवश्यक होगा।

नोट: अधूरे आवेदनों या सहायक दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों या ऐसे अग्रिम आवेदन, जिसके लिए बाद में आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित नहीं किए गए हों या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार / विचार नहीं किया जाएगा।

7. जिन उम्मीदवारों ने पूर्व में मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन के पद के लिए आवेदन किया था, उन्हें पुन: आवेदन करना आवश्यक है।
8. खोज-सह-चयन समिति कमेटी योग्यता के आधार पर किसी अन्य ऐसे व्यक्ति की पहचान करने और उसकी संस्तुति करने के लिए भी स्वतंत्र है जिसने इस पद के लिए आवेदन नहीं किया है।

9. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://depwd.gov.in को देख सकते हैं। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन (सीसीपीडी) के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार https://ccpd.nic.in को देख सकते हैं।

(अजय कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
(ईमेल: ajay.kumar78@nic.in)

<u>संलग्नक</u> : आवेदन का प्रपत्र अनुबंध में है।

सेवा में,

1. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट।
2. ई-ऑफिस पर अपलोड करने के लिए स्थापना/प्रशासन प्रभाग।

3. समाचार पत्रों में संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित करने के लिए मीडिया प्रभाग।

परिपत्र संख्या 16-08/2014-डीआरसी/सीसीपीडी (भाग.Vol.II) का अनुबंध

दिनांक: अगस्त, 2026

मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन के पद के लिए आवेदन हेतु प्रपत्र

1. (क) नाम (बड़े अक्षरों में):

(ख) आवेदक का पता, दूरभाष संख्या और ईमेल आईडी सहित:

2. (क) जन्मतिथि: (ख) 01.01.2026 को आयु

3. (क) शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ:

(ख) प्रकाशित शोध पत्र (संक्षिप्त विवरण दें):

4. अनुभव का विवरण :

(आवेदन की तिथि तक कालानुक्रम अनुसार ब्यौरा दिया जाए):

क्र.सं.	कार्यालय/विभाग/संगठन का नाम	क्या यह केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम /अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकाय/राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है?	धारित पद के नाम और वेतनमान/सकल वेतन सहित पद का विवरण	कार्यकाल .... से (दिन/माह/वर्ष से)	कार्यकाल .... तक (दिन/माह/वर्ष तक)	नियुक्ति की प्रकृति:– नियमित/तदर्थ /प्रतिनियुक्ति/मानद	दिव्यांगता क्षेत्र में अनुभव के विवरण सहित जहाँ लागू हो, कार्यों/नौकरी के विवरण की प्रकृति।

(क) दिव्यांगता क्षेत्र में विस्तृत अनुभव:

क्र.सं.	कार्यालय/विभाग/संगठन का नाम	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम /अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकाय/राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन	पदनाम और वेतनमान/सकल वेतन के साथ धारण किए गए पद का विवरण	कार्यकाल .... से (दिन/माह/वर्ष)	कार्यकाल .... तक (दिन/माह/वर्ष)	नियुक्ति की प्रकृति:- नियमित/तदर्थ/प्रतिनियुक्ति/मानद	दिव्यांगता क्षेत्र में अनुभव के विवरण सहित कर्तव्य/कार्य विवरण, जहाँ भी लागू हो।

5. केन्द्रीय/राज्य सरकार के संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/स्वायत्त निकायों आदि में कार्यरत आवेदकों के संबंध में,

i. क्या आवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत किया गया है: हाँ/नहीं

ii. क्या पिछले पाँच वर्षों की एपीएआर की प्रमाणित प्रतियां संलंग्न की गई हैं: हाँ/नहीं

iii. क्या सतर्कता निकासी (Vigilance clearance) संलंग्न की गई है: हाँ/नहीं

6. उम्मीदवारी के समर्थन में या अन्य प्रासंगिक विवरण, संबंधी अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो।

7. संदर्भ के लिए दो व्यक्तियों के नाम, पते और दूरभाष नंबर, जिनसे आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सके:

i) <u>संपर्क 1</u>

क) नाम:

ख) पता:

ग) मोबाइल नंबर:

घ) ई-मेल:

ii) <u>संपर्क 2</u>

क) नाम:

ख) पता:

ग) मोबाइल नंबर:

घ) ई-मेल:

8. प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज (नीचे उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा अन्य बताए गए दस्तावेजों का विवरण निम्नलिखित तालिका की अगली पंक्तियों में जोड़ा जा सकता है):

क्र.सं.	दस्तावेज़ का प्रकार	प्रस्तुत किया गया है या नहीं (✔ जहाँ लागू हो वहाँ सही का निशान लगाएँ)		आवेदन में दस्तावेज़ की पृष्ठ संख्या
		हां	नहीं	
1	जन्म तिथि का प्रमाण (10वीं का प्रमाण पत्र/जन्म तिथि प्रमाण पत्र)			
2	शैक्षिक प्रमाण पत्र			
3	वर्तमान वेतन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)			
4	एनजीओ/अन्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अनुभव के मामले में नियोक्ता/संगठन का पंजीकरण प्रमाण पत्र			
5	पिछले पाँच वर्षों की एपीएआर की प्रतियां (यदि लागू हो)			
6	सतर्कता निकासी (यदि लागू हो)			

9. क्या उपर्युक्त दावों के संबंध में कोई समर्थक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है? यदि हाँ, तो उसे प्रस्तुत न करने का/के कारण:

अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक :
स्थान :

पत्राचार के लिए पूरा पता (डाक और ईमेल) ....